अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन और न्यायमूर्ति एच. आर. सोढ़ी के समक्ष

दिलभरी, - *अपीलकर्ता*

बनाम ' [1]

नगर समिति, रोहतक, जवाब दें

1965 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 458

13 सितंबर, 1971

पंजाब नगरपालिका अधिनियम (1911 का III) - धारा 96 - नगरपालिका समिति को एक स्वतंत्र ठेकेदार या राज्य विभाग द्वारा निष्पादित पानी के पाइप बिछाने का काम प्राप्त करना - काम के निष्पादन में लापरवाही जिससे नागरिकों को loss.to होता है - नगरपालिका समिति - क्या नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

नगर निगम अधिनियम, 1911 की धारा 96 एक नगरपालिका समिति को पानी की आपूर्ति के लिए पाइप बिछाने का अधिकार देती है। यह प्राधिकरण और कुछ नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जिसे राज्य सरकार द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगर समिति जैसे निगम की जिम्मेदारी उन कृत्यों के लिए है जो कदाचार करते हैं। यह कानून में कोई बचाव नहीं है कि नगरपालिका समिति काम की अनुमति देती है, जिसके परिणामस्वरूप जनता के एक सदस्य को चोट लगती है, जिसे एक स्वतंत्र ठेकेदार या राज्य विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। नगरपालिका समिति द्वारा जिसे भी नियोजित किया जाता है, वह उस विशिष्ट कार्य के लिए उसका एजेंट होता है। एक व्यक्ति अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी है और नियम एक कॉर्पोरेट निकाय पर समान रूप से लागू होता है, एकमात्र शर्त यह है कि कथित घृणित कार्य एजेंट या नौकर के अधिकार के दायरे में है और वैधानिक निकाय के निगमन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। प्राथमिक कर्तव्य नगरपालिका समिति का है कि वह बिना किसी लापरवाही के पानी के पाइप बिछाए और उन्हें उचित क्रम में बनाए रखे। नागरिकों के अधिकार बहुत ही अनिश्चित स्थिति में होंगे यदि एक प्रिंसिपल की ओर से बचाव की अनुमति दी जाती है कि उसने जनता को चोट पहुंचाने वाला काम एक स्वतंत्र ठेकेदार या राज्य के किसी भी विभाग को सौंपा है। इसलिए एक नगरपालिका समिति एक नागरिक को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक ठेकेदार या राज्य विभाग द्वारा लापरवाही से पानी के पाइप बिछाने से नुकसान उठाता है, जिसे समिति निष्पादन के लिए काम सौंपती है।

(पैरा 11 और 12)

रोहतक के जिला न्यायाधीश श्री कुल भूषण की अदालत की दिनांक 25 सितम्बर, *1964 की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील* में रोहतक के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश श्री एमएल जैन *द्वारा दिनांक 28* नवम्बर, *1963* को की गई याचिका की पुष्टि की गई है। *प्रतिवादी के* खिलाफ आनुपातिक लागत के साथ *2,509।*

क्रॉस-अपील संख्या।प्रतिवादी द्वारा दायर 1964 *की धारा* 52 *को भी खारिज कर दिया गया था और आगे पार्टियों को दोनों अपीलों में अपनी लागत वहन करने का आदेश दिया गया था।*

अपीलकर्ता की ओर *से वकील जीसी मित्तल और एसएन गर्ग।*

प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप, उनके साथ अधिवक्ता आर. एस. मित्तल *उपस्थित थे।*

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा दिया गया था?

सोढी न्यायमूर्ती - (1) इस फैसले का निपटारा किया जाएगा... 1965 की दो नियमित दूसरी अपील संख्या 458 और 215 को जिला न्यायाधीश, रोहतक के उसी फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया था। पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के तहत गठित नगरपालिका समिति, रोहतक, जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है, ने तत्कालीन पंजाब राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से शहर में पानी की आपूर्ति के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाई। अधिनियम का अध्याय VIII जल आपूत से संबंधित है और धारा 96 के अधीन समिति अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र या उसके किसी भाग को सार्वजनिक और घरेलू प्रयोजनों के लिए आवश्यक संपूर्ण जल की आपूत प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है और राज्य सरकार भी उसे ऐसा करने का निदेश दे सकती है जिस स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। धारा 240 के तहत राज्य सरकार को दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं और उन्हें नगरपालिका लेखा संहिता कहा जाता है। वे समिति के विभिन्न विभागों से संबंधित कई प्रक्रियात्मक मामलों से निपटते हैं और नगरपालिका कार्यों के निष्पादन के मामले में, उनके अध्याय XIII में कुछ अनुदेश निर्धारित किए गए हैं। समिति द्वारा किसी भी कार्य को तब तक निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि इसकी लागत का विस्तृत अनुमान पहले निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किया जाता है और समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है। आम तौर पर, नगरपालिका कार्यों के लिए दरों की एक अनुसूची हर साल स्वीकृत की जाती है। संहिता में यह निर्धारित किया गया है कि जब भी कोई कार्य शुरू किया जाना है जिसके लिए एक प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है, तो नगरपालिका अभियंता निविदाएं आमंत्रित करेगा जब तक कि कार्य विभागीय रूप से या सरकार के लोक निर्माण विभाग की एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित नहीं किया जाना है। इस स्तर पर नियमों के एक और सेट का संदर्भ देना आवश्यक है जिसे 1925 के नगरपालिका कार्य नियम के रूप में जाना जाता है। तत्काल मामले में, पाइप को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बिछाया गया था। नगरपालिका कार्य नियमों के नियम 6 में कहा गया है कि प्रथम श्रेणी समिति द्वारा कोई मूल कार्य नहीं किया जाना है, यदि इसमें शामिल है

दस हजार रुपये या उससे अधिक का व्यय, या द्वितीय श्रेणी की समिति द्वारा यदि इसमें दो हजार पांच सौ रुपये या उससे अधिक का व्यय शामिल है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति पहले प्राप्त नहीं की गई हो। विभिन्न प्राधिकरण हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए मंजूरी दे सकते हैं। नियम 14(1) में प्रावधान है कि यदि किसी परियोजना को तकनीकी स्वीकृति नगरपालिका अभियंता की शक्तियों के भीतर है, तो उसे विस्तृत सर्वेक्षण, योजनाएं, विनिर्देश और अनुमान तैयार करने और कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम माना जाएगा। नियम 14 (2) में यह कहा गया है कि जहां नगरपालिका अभियंता से उच्च प्राधिकारी की तकनीकी मंजूरी की आवश्यकता होती है, वहां नगरपालिका समिति अपने स्वयं के इंजीनियरिंग कर्मचारियों के माध्यम से काम करने का संकल्प ले सकती है, लेकिन उस स्थिति में कार्य के निष्पादन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी कि उक्त कर्मचारी विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए सक्षम है, विनिर्देशों, सर्वेक्षण और अनुमानों और कार्यों को निष्पादित करने के लिए। यदि कोई प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो नगर समिति के पास अधीक्षण अभियंता, पंजाब स्वास्थ्य सर्कल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या अधीक्षण अभियंता या इस संबंध में उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए उक्त सर्वेक्षण, योजनाएं, विनिर्देश और अनुमान होने चाहिए। ऐसे प्राधिकारी की लिखित सहमति के बिना किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने के लिए नगरपालिका समिति के लिए खुला नहीं है।

(दो) तत्कालीन वादी श्रीमती दिलभरी ने वर्ष 1958 में रोहतक शहर के वार्ड नं 9 में कहीं मकान का निर्माण किया और मुख्य पाइप लाइन उनके घर के पास एक सार्वजनिक गली से होकर गुजरी। यह आरोप लगाया गया है कि वादी के घर के सामने के हिस्से, साइड की दीवारों, छतों और फर्श में कुछ दरारें दिखाई दीं और 28 अप्रैल 1962 को, उसने अपने कर्मचारियों के माध्यम से नगर समिति को सूचित किया कि ये दरारें मुख्य पाइपलाइन से पानी के रिसाव के कारण थीं। उस दिन कुछ नहीं किया गया और अगले दिन यानी 29 अप्रैल 1962 को वादी ने नगर निगम आयुक्त श्री परमा नंद तुली से संपर्क किया, जो समिति के कुछ कर्मचारियों को मामले की जांच के लिए मौके पर लाए। पृथ्वी खोदी जा रही थी, पाइपलाइन में दो छेद पाए गए थे, जिसके माध्यम से पानी लीक हो गया था और वादी के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, और उन्हें प्लग किया गया था। पानी के इस रिसाव के कारण घर को नुकसान हुआ था, और वादी ने दोषपूर्ण पाइप बिछाने और उन्हें ठीक से बनाए रखने में नगरपालिका समिति की ओर से घोर लापरवाही का आरोप लगाया। वादी द्वारा यह दावा किया गया था कि घर के क्षतिग्रस्त हिस्से को ध्वस्त और पुनर्निर्माण किया जाना था और इसके लिए अनुमानित लागत क्या थी?
इस तरह के पुनर्निर्माण के लिए 9,750 रुपये का काम किया गया था, जिसमें किराए के नुकसान के कारण 250 रुपये जोड़े गए थे। इस तरह से वादी ने हर्जाने के रूप में 10,000 रुपये का दावा किया। नगरपालिका समिति को एक नोटिस दिया गया था और वादी की मांग को पूरा करने में विफल रहने पर, मुकदमा दायर किया गया था।

(तीन) प्रतिवादी समिति ने विभिन्न आधारों पर मुकदमे का विरोध किया। यह दलील दी गई थी कि भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या रखरखाव में उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। समिति की दलील यह थी कि पाइपलाइन राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से समिति द्वारा बिछाई गई थी और बाद में अकेले जिम्मेदार था। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि पंजाब राज्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग आवश्यक पक्ष हैं। पार्टियों ने निम्नलिखित मुद्दों पर मुकदमा चलाया: -

(एक) क्या पंजाब राज्य और जन स्वास्थ्य विभाग पीडब्ल्यूडी आवश्यक पक्षकार हैं?

(दो) क्या प्रतिवादी की लापरवाही के कारण भूमिगत पानी की पाइपलाइन के रिसाव के माध्यम से वादी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है?

(तीन) वादी की लापरवाही के कारण वादी के घर के सामने से गुजरने वाले नाले से पानी के रिसाव के माध्यम से वादी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है या नहीं?

(चार) क्या वादी के घर को प्रतिवादी की लापरवाही के अलावा अन्य कारणों से नुकसान पहुंचाया गया है?

(पाँच) मुद्दा संख्या 2 के प्रमाण के मामले में वादी कितनी राशि के नुकसान का हकदार है?

(छः) मदद।

(चार) मुद्दा संख्या 1 को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ तय किया गया था, यह माना गया था कि

पंजाब राज्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग पीडब्ल्यूडी आवश्यक पक्ष नहीं थे। मुद्दा संख्या 2 पर निर्णय वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ मुद्दा संख्या 3 और 4 पर गया। अंक संख्या 5 के तहत, नुकसान का आकलन 2,509 रुपये किया गया था। तदनुसार प्रतिवादी समिति के खिलाफ आनुपातिक लागत के साथ 2,509 रुपये की वसूली के लिए एक डिक्री दी गई थी।

(पाँच) दोनों पक्ष ट्रायल कोर्ट के डिक्री से संतुष्ट नहीं थे और अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी जिन्हें निपटा दिया गया था।

विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अपील के तहत निर्णय द्वारा। उन्हें किसी भी अपील में कोई दम नहीं मिला और इसे खारिज कर दिया गया, जिससे पार्टियों को अपनी लागत वहन करनी पड़ी।

(छः) मुख्य प्रश्नों में से एक जिसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी, वादी के घर को हुए नुकसान का कारण था। पीडब्ल्यू 8 के नगर आयुक्त श्री परमा नंद तुली और अन्य लोगों की उपस्थिति में पाइपलाइन का पता लगाया गया था, जिन्होंने दो छेद पाए जिनसे पानी लीक हो रहा था। वादी ने एक विशेषज्ञ श्री एस. डी. चावला, एक सेवानिवृत्त एसडीओ की जांच की, जिन्होंने 1 मई 1962 को घटनास्थल का निरीक्षण किया, और रिपोर्ट प्रदर्शनी पी 1 तैयार की। यह छेद ोा को बंद करने के बाद हुआ था। उन्होंने इमारत में दरारें पाई और 9,750 रुपये के नुकसान का आकलन किया, जिसका विवरण यहां बताना आवश्यक नहीं है। श्री सरदारी लाई, उप-विभागीय अधिकारी (सेवानिवृत्त) को न्यायालय द्वारा स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया था और उन्होंने भी मौके के निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रदर्शनी एलसी 1 दी। जिस समय इन विशेषज्ञों में से किसी ने पाइपलाइन का निरीक्षण किया, उस समय छेदों से कोई पानी नहीं रिस रहा था, लेकिन वादी के घर को नुकसान क्षतिग्रस्त पाइप के छेद से पानी के रिसाव के अनुसार था, जो इसकी नींव में घुस गया था। इस गवाह के अनुसार, क्षति का आकलन 3,510 रुपये था, क्योंकि क्षतिग्रस्त घर के कुछ हिस्से की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए इतनी राशि आवश्यक थी। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष है कि नगरपालिका पाइपलाइन से पानी के रिसाव के कारण वादी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है और सबूतों पर उचित विचार करने पर प्राप्त तथ्य के इस निष्कर्ष को हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है।

(सात) बहस में केवल दो प्रश्न हैं कि क्या प्रतिवादी समिति वादी के घर को नुकसान पहुंचाने के लिए कानून में उत्तरदायी है और यदि हां, तो वर्तमान मामले की परिस्थितियों में मुआवजे की उचित मात्रा क्या होनी चाहिए।

(आठ) प्रतिवादी समिति के वकील श्री आनंद स्वरूप ने पुरजोर आग्रह किया कि पाइपलाइन राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिछाई गई थी, जिस पर समिति का कोई नियंत्रण नहीं था, और वास्तव में, समिति के पास अपना ठेकेदार चुनने या पाइप बिछाने के मूल कार्य की निगरानी करने का कोई विकल्प नहीं था। इस संबंध में वह नगरपालिका कार्य नियमों पर निर्भर करता है जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। विद्वान वकील का तर्क यह है कि समिति किसी भी लापरवाही की दोषी नहीं थी और देखभाल का एकमात्र मानक था जिससे उम्मीद की जा सकती थी

यह एक साधारण विवेकशील व्यक्ति का था। यह आग्रह किया जाता है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि समिति को कभी पाइपों में किसी प्रारंभिक दोष या उसके बाद पानी के रिसाव के बारे में पता था, और यदि वादी के आवासीय घर को कनेक्शन देने के लिए पाइप-लाइन से जुड़े दो फेर दो स्थानों पर गायब हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप पाइप-लाइन में दो छेद हो गए थे, इसके लिए दोष और जिम्मेदारी राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग की थी, न कि समिति की। विद्वान वकील का तर्क है कि जैसे ही वादी के घर को नुकसान के बारे में समिति को जानकारी दी गई, छेद को ठीक कर दिया गया।

(नौ) यह विवादित नहीं है कि इस्तेमाल किए गए पाइप जंग लगे हुए थे और काफी पुराने थे, हालांकि वादी के घर के निर्माण के बाद वर्ष 1959 में ही पाइपलाइन बिछाई गई थी। पानी का रिसाव संदेह से परे था क्योंकि पानी गायब हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप पानी बाहर निकल गया था, जिससे वादी के घर की मिट्टी और नींव गीली हो गई थी, जिससे नींव कमजोर हो गई और परिणामस्वरूप इमारत में दरारें आ गईं। 28 अप्रैल 1962 को नुकसान का पता चलने तक यह स्पष्ट रूप से चल रहा होगा।

(दस) हमें डर है कि विद्वान वकील द्वारा स्वीकृति के लिए हमारे सामने जो दृष्टिकोण प्रचारित किया गया है, उसमें कोई दम नहीं है। अब हमारे सामने जो तर्क दिया गया था, उसे प्रथम अपील की अदालत के समक्ष भी आधे-अधूरे मन से उठाया गया था और खारिज कर दिया गया था। एक नगरपालिका समिति एक निकाय कॉर्पोरेट है जिसके पास संपत्ति का अधिग्रहण करने और रखने और उन सभी चीजों को करने की शक्ति है जो इसके संविधान के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। धारा 96 एक नगरपालिका समिति को पानी की आपूर्ति के लिए पाइप बिछाने का अधिकार देती है और अधिकार का यह प्रयोग, जो कुछ भी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक कर्तव्य के अलावा मजबूर किया जा सकता है; एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में, एक समिति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह दुर्व्यवहार के कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि कानून में समझा जाता है, शब्द दुराचार, गैर-अपराध से अलग है, और इसमें एक वैध कार्य का अनुचित प्रदर्शन शामिल है। यह कानून का एक स्वयंसिद्ध नियम है कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें अभिव्यक्ति में एक कॉर्पोरेट निकाय शामिल है, को दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए लापरवाही से कार्य करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह व्यक्ति वैधानिक कर्तव्य निभा रहा हो या वैधानिक शक्ति का उपयोग कर रहा हो। गैर-अनुपालन के कृत्यों के लिए निगम के दायित्व के संबंध में जो भी कानून हो, कदाचार करने वालों के लिए इसका दायित्व संदेह से परे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही यह कानून में बचाव है कि वैधानिक निकाय ने एक काम की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप जनता के एक सदस्य को चोट लगी, जिसे एक स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया गया।

या नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि एक स्वतंत्र ठेकेदार के बजाय यह कार्य नगरपालिका समिति द्वारा राज्य के किसी विभाग को सौंपा जाना चाहिए। जो भी नियोजित किया जाता है, स्थिति समान है, अर्थात्, कार्य और कर्तव्य नगर निगम के हैं और नियोजित लोग उस विशिष्ट कार्य के लिए इसके एजेंट हैं। एक व्यक्ति अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी है और नियम समान रूप से लागू होता है यदि प्रिंसिपल एक कॉर्पोरेट निकाय होता है, एकमात्र शर्त यह है कि कथित घृणित कार्य एजेंट या नौकर के अधिकार के दायरे में है और वैधानिक निकाय के निगमन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

(ग्यारह) इस मामले में, सांविधिक कर्तव्य यह था कि इसे धारा 96 के आधार पर समिति पर लागू किया जाए और उस कर्तव्य के लापरवाह निष्पादन से जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं, समिति उत्तरदायी होगी, चाहे वह एक स्वतंत्र ठेकेदार को नियुक्त करे। कानून इस बात पर विचार नहीं करता है कि एक वैधानिक कर्तव्य के तहत एक प्राधिकरण को किसी अन्य व्यक्ति पर इसे लागू करके अपनी देयता से छुटकारा पाने में सक्षम होना चाहिए। आधुनिक विचारों के विकास में प्रवृत्ति इसे प्रतिबंधित करने के बजाय प्रिंसिपल के दायित्व का विस्तार करने की ओर है। समिति इसलिए उत्तरदायी नहीं है कि स्वतंत्र ठेकेदार ने उचित देखभाल और सावधानी बरतने में विफल रहकर अपना कर्तव्य तोड़ा है, बल्कि प्राथमिक दायित्व स्वयं समिति का है। ऐसे सभी मामलों में वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या कर्तव्य, जिसके उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई, समिति द्वारा वादी को दिया गया है और जब ऐसा है, तो यह कहना कोई बचाव नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति, अर्थात्, एक स्वतंत्र ठेकेदार को इसे करने के लिए कहा गया था। वैधानिक कर्तव्य, जब तक कि संदर्भ अन्यथा वारंट न हो, आम तौर पर गैर-प्रत्यायोज्य कर्तव्य होते हैं। इस संबंध में, कैसिडी वी में डेनिंग लॉर्ड जे की टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी है। *स्वास्थ्य मंत्रालय* (1): –

> "मैं इसे स्पष्ट कानून के साथ-साथ अच्छी समझ के रूप में लेता हूं, कि, जहां कोई व्यक्ति खुद देखभाल का उपयोग करने के कर्तव्य के तहत है, वह किसी और को इसके प्रदर्शन को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा

सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिनिधिमंडल सेवा के अनुबंध के तहत एक नौकर के लिए हो या सेवाओं के लिए अनुबंध के तहत एक स्वतंत्र ठेकेदार के लिए हो।

कैसिडी के मामले *में तथ्य* काफी दिलचस्प हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने वहां वादी को इलाज के लिए एक मरीज के रूप में स्वीकार किया और यह था

(1) 1951 2 केबी 343।

उचित देखभाल के साथ उसका इलाज करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने उनकी देखभाल करने वाले सर्जनों और नर्सों का चयन, नियुक्ति और भुगतान किया। वादी का उनके चयन में कोई दखल नहीं था। वादी का ऑपरेशन किया गया लेकिन ऑपरेशन के बाद की देखभाल में लापरवाही बरती गई जिससे उसका बायां हाथ पूरी तरह से बेकार हो गया। इन परिस्थितियों में, डेनिंग एलजे ने माना कि वादी को उन शर्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिन पर उन्होंने अपने कर्मचारियों को नियोजित किया था। वह बस इतना जानता था कि अस्पताल में उसका इलाज उन लोगों द्वारा किया गया था जिन्हें अस्पताल के अधिकारियों ने नियुक्त किया था, और अस्पताल के अधिकारियों को उसके इलाज के तरीके के लिए जवाबदेह होना चाहिए। ऐसी स्थिति पर लागू होने के लिए *रिस्प्सा लोक्विटर* के सिद्धांत को लागू किया गया था और यह आगे देखा गया था कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अस्पताल प्राधिकरण पर है कि उसकी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी, जिसके कृत्यों या चूक के लिए वह उत्तरदायी था। लॉर्ड डेनिंग जे की टिप्पणियों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।

(बारह) हमारे समाज में भी, एक नगर निगम को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से केवल इसलिए मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कार्य का निष्पादन जो निष्पादित करना उसका अपना कर्तव्य था, उसके द्वारा नियोजित किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया था। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक कर्तव्य सौंपा जा सकता है लेकिन उन्हें वर्तमान मामले में संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। हमारे विचार में, प्राथमिक कर्तव्य नगरपालिका समिति के पास है कि वह बिना किसी लापरवाही के पानी के पाइप बिछाए और उन्हें उचित क्रम में बनाए रखे। नागरिकों के अधिकार बहुत अनिश्चित स्थिति में होंगे यदि बचाव पक्ष को एक प्रिंसिपल की ओर से अनुमति दी गई थी कि उसने जनता को चोट पहुंचाने वाला काम एक स्वतंत्र ठेकेदार या राज्य के किसी भी विभाग को सौंपा था।

(तेरह) एक खंडपीठ मामले में निर्णय माया राम बनाम माया राम के रूप *में रिपोर्ट किया गया* था। *नगर समिति, लाहौर* (2) भी इस मामले में उठाए गए मुद्दे को हल करने में मदद करती है। वादी माया राम ने लाहौर की नगरपालिका समिति पर इस आरोप पर हर्जाने के रूप में 10,000 रुपये की राशि के लिए मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी की लापरवाही, चूक और अवैध कृत्यों के माध्यम से, वादी से संबंधित तीन घरों को तोड़ दिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया और अंततः आंशिक रूप से ध्वस्त किया जाना था। इन घरों को पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति मिल रही थी जो नगरपालिका मुख्य से संबंधित थी। नगरपालिका स्टैंडपाइप (स्टैंडपोस्ट) विचाराधीन घरों से थोड़ी दूरी पर था और 11 नवंबर 1923 को, सार्वजनिक स्टैंडपोस्ट ने पानी देना बंद कर दिया। किसी को भी यह पता नहीं चल सका कि इस ठहराव का कारण क्या था। 13 नवंबर 1923 को, नगरपालिका अभियंता को इसके बारे में सूचित किया गया था

(दो) ए.आई.आर. 1929 लाह। 730.

वार्ड के नगर आयुक्त द्वारा दूरभाष। स्टैंडपोस्ट के पास जमीन खोदने के लिए एक फिटर और एक पर्यवेक्षक को तैनात किया गया था और यह पता चला कि सार्वजनिक स्टैंडपोस्ट का पाइप टूट गया था। नगर निगम के कर्मचारियों ने पानी की और बर्बादी को रोकने के लिए मुख्य को स्टैंडपोस्ट से जोड़ने वाले फेररूल को बंद कर दिया। वादी सहित कुछ घरों में दरार पड़ने लगी और इसके कारण मुकदमा दायर किया गया जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया लेकिन अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। धारा 96, 97, 99, 102 और 138 सहित अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं पर विचार करने पर उस मामले में की गई कुछ टिप्पणियों को लाभ के साथ नीचे उद्धृत किया जा सकता है: -

> "इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि नगरपालिका अधिनियम के इन विभिन्न प्रावधानों के तहत नगरपालिका मुख्य से जुड़े और तय किए गए कॉनेक्सॉन-पाइप और फर्नियम की भूमिगत प्रणाली, चाहे आम तौर पर जनता के लाभ के लिए उपयोग की जाती है या निजी घरों से जुड़ी होती है, नगरपालिका के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रबंधन के अधीन है और यह देखना उसका कर्तव्य है कि इसे ठीक से बनाए रखा जाए और काम करने के क्रम में रखा जाए। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस चर्चा में मैं निश्चित रूप से नगरपालिका की भूमि और सड़कों और रास्तों पर मुख्य और पाइप और फर्रूल्स का उल्लेख कर रहा हूं, न कि निजी भूमि, घरों, भवनों और परिसरों पर पाइपों का उल्लेख कर रहा हूं जो एक अलग स्तर पर खड़े हो सकते हैं ...
>
> ♦_
>
> «*,
>
> इस प्रकार, मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, इसके क्षतिग्रस्त पाइपों के माध्यम से नगरपालिका के पानी के पलायन के कारण वादी के घरों को हुए नुकसान के लिए नगरपालिका की जिम्मेदारी सवाल से परे है।

(चौदह) जिन नियमों पर श्री आनंद स्वरूप भरोसा कर रहे हैं, उनका अवलोकन करने से पता चलेगा कि वे सलाहकार प्रकृति के हैं और केवल राज्य और नगरपालिका समिति के बीच प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि समिति की ओर से कार्य करके विभाग राज्य के विभाग के रूप में कार्य नहीं करता है, लेकिन केवल उक्त समिति के एजेंट के रूप में। निर्माण नियमों के तहत केवल यह अपेक्षित है कि समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी मंजूरी के बिना कुछ वर्गों के कार्य नहीं किए जाने चाहिए और यह मंजूरी संबंधित है।

विस्तृत सर्वेक्षण, योजनाओं, विनिर्देशों और अनुमानों की तैयारी के लिए। कुछ मामलों में, नगरपालिका अभियंता स्वयं आवश्यक मंजूरी देने के लिए सक्षम है, जबकि अन्य में इसे अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्कल, या किसी अन्य अधिकारी से प्राप्त करना पड़ सकता है। नियम 15 के तहत समिति को सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्कल के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सरकार को भुगतान करना होगा। इन नियमों का कार्यों के वास्तविक निष्पादन से कोई लेना-देना नहीं है, जैसे पाइप बिछाना; और यहां तक कि अगर ऐसे कार्यों की निगरानी इन अधिकारियों द्वारा की जानी है, तो उन्हें समिति के एजेंट के रूप में कार्य करने वाला माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि पाइप-लाइन बिछाने में प्रारंभिक लापरवाही हुई थी क्योंकि इस्तेमाल किया गया पाइप पुराना था और संलग्न दो फेरुल गायब थे। पाइप बिछाने के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से पाइप बिछाने के लिए जंग लगी पाइप का इस्तेमाल करना कितना अनुचित था। वादी द्वारा 28 अप्रैल 1962 को समिति को सूचित किया गया था, लेकिन अगले दिन तक समिति द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया जब श्री परमा नंद तुली पी डब्ल्यू 8 स्वयं मौके पर गए और छेदों को ठीक किया। यह सब समिति की ओर से लापरवाही को दर्शाता है, और यह लापरवाही का अनुमानित सबूत है। किसी भी दर पर, कदाचार के कृत्यों के स्पष्ट साक्ष्य को देखते हुए नगरपालिका समिति दायित्व से बच नहीं सकती है।

(पंद्रह) श्री आनंद स्वरूप ने हमारा ध्यान माउंट सुल्तान बी *वी के एक कथित मामले की ओर आकषत* किया है। *नंदलाल सुगनचंद मारवाड़ी और एक अन्य* (3)। उस मामले के तथ्य अलग-अलग हैं। प्रतिवादियों ने वहां कुछ व्यक्तियों को अपनी जमीन पर स्थित एक पेड़ को काटने के लिए लगाया था। वादी के घर से 30 फीट की दूरी पर स्थित उस तरह के पेड़ को काटने में कोई असाधारण खतरा शामिल नहीं था। कोई भी अकुशल व्यक्ति कार्य को पूरा कर सकता है। प्रतिवादी ने पेड़ काटने का ठेका एक स्वतंत्र ठेकेदार को दिया था, लेकिन उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों की लापरवाही से पेड़ का एक हिस्सा वादी के घर पर गिर गया,

जिससे इसे नुकसान पहुंचा। इस मामले में उत्तरदाताओं को उन व्यक्तियों की लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, जिन्हें उन्होंने नियोजित किया था क्योंकि उनकी ओर से उचित देखभाल की कमी का कोई सबूत नहीं था।

(सोलह) अगला प्रश्न जो विचार के लिए बचा हुआ है, वह है नुकसान की मात्रा। रिकॉर्ड में दो रिपोर्टें हैं, एक सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री एस डी चावला द्वारा और दूसरी श्री सरदारी लै, स्थानीय आयुक्त द्वारा, दोनों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

मरम्मत और आवश्यक नए निर्माण के लिए आवश्यक राशि का आकलन किया। नीचे दिए गए न्यायालयों ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने 3,510 रुपये के नुकसान का आकलन किया। हालांकि, उन्होंने 1,001 रुपये की राशि काट ली थी, क्योंकि उनके अनुसार, यह पुन: उपयोग की जाने वाली सामग्री की लागत थी। हमें इस तरह की कटौती का कोई औचित्य नहीं दिखता। हमारी राय में, रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए था और हर्जाने के रूप में 3,510 रुपये की कुल राशि दी जानी चाहिए थी।

(सत्रह) पूर्वगामी कारणों से, नियमित द्वितीय अपील सं. 1965 के आदेश को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि वादी-अपीलकर्ता को देय नुकसान की राशि 2,509 रुपये से बढ़ाकर 3,510 रुपये कर दी जाती है, जबकि 1965 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 215 को खारिज कर दिया जाता है। इन दोनों अपीलों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

असंध, कर्नल
हरियाणा